

F. No.190201/1/2014-PR Government of India Ministry of Finance Department of Financial Services

2nd Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi Dated 7th November, 2016

To,

- The Cadre Controlling Authorities of All India Services / Central Services Group-A.
- Chief Secretaries of all State Governments and UTs and UT Administration.
- I.B.A., Life Insurance Council, General Insurance Council, Insurance Institute of India, National insurance Academy, Institute of Actuaries of India, C.I.I., ASSOCHAM, PHDCCI, IIMs, IRDA, SEBI, RBI, ICAI, FMC.

Subject: Inviting applications for the post of Whole-time Member (Finance) in Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) New Delhi.

Sir,

The Government of India proposes to fill the post of Whole-time Member (Finance) in the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), New Delhi. The Whole-time Member, PFRDA, is entitled to a consolidated salary of Rs. 3.75 lakh per month without facility of house and car.

2. The Whole-time Member, PFRDA, shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office as a Whole-time Member provided that no Whole-time Member shall hold office after attaining the age of 62 years. The terms and conditions of pay, DA, CCA, TA, and Pension etc. shall be governed by the PFRDA (Salary and allowances Payable to, and Other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Whole-time Members) Rules, 2014. The applicant should have a minimum of two years of potential service as on the last date of submission of applications i.e. age should not exceed 60 years on that date.

3. Applicant must be:

Person of ability, integrity and standing with knowledge and experience of finance,

Have at least 15 years of experience in finance leading to a senior position in the organisation concerned and shall be a person who is or has been:

 A government servant and has worked as Joint Secretary in the Government of India or as Additional / Special Secretary in a State Government for at least three years;

b) A public sector official and has worked at least at one level immediately below the Board level for at least three years;

c) An officer in a regulatory body and has worked as Executive Director or equivalent for at least three years;

d) A private sector employee and has worked at the level of a functional head for at least five years in a company having an annual turnover of Rs.1000 crore or more; and

e) From Academics and has worked at least five years as a Professor in the Department or faculty of a University

4. Applications on the enclosed pro-forma, clearly demonstrating eligibility against each requirement, along with one passport size photograph, should be sent in closed cover super-scribed with the words "Application for the post of Member (Finance), PFRDA" which should reach the address given below by 5.30 PM on "December, 2016. Government / public / regulatory sector applicants must forward the applications through their Head of Department / proper channel. Advance copies of applications may,

CS 7-11-16

*94*5

9-11-16

1904 - TAI)

Scelen II College

स्वार शाका 123582 हायरी ने | 123582 फा.सं. 190201/1/2014-पीआर भारत सरकार वित मंत्रालय वितीय सेवाएं विभाग

> दूसरा तल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 7 नवम्बर, 2016

सेवा में.

- 1. अखिल भारतीय सेवाओं/केन्द्रीय सेवाओं के 'क' संवर्ग के नियंत्रक प्राधिकारी।
- 2. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और संघ राज्य प्रशासन के मुख्य सचिव।
- 3. आईबीए, जीवन बीमा परिषद, साधारण बीमा परिषद, भारतीय बीमा संस्थान, राष्ट्रीय बीमा अकादमी, इंस्टीट्यूट आफ एक्चूअरी आफ इंडिया, सीआईआई, एसोचैम, पीएचडीसीसीआई, आईआईएम, आईआरडीए, सेबी, आरबीआई, आईसीएआई, एफएमसी।

विषय: पंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), नई दिल्ली में पूर्णकालिक (वित) सदस्य के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करना।

महोदय,

भारत सरकार, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), नई दिल्ली में पूर्णकालिक (वित) सदस्य के पद को भरने का प्रस्ताव करती है। पीएफआरडीए के पूर्णकालिक सदस्य बिना आवास और कार की स्विधा के 3.75 लाख रुपए प्रतिमाह का समेकित वैतन पाने के हकदार होंगे।

- 2. पीएफआरडीए के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अविधि के लिए बशर्ते कि कोई भी पूर्णकालिक सदस्य 62 वर्ष की आयु के पश्चात कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा। डीए, सीसीए, टीए और पंशन आदि की शर्तों और निबंधनों का निर्धारण पीएफआरडीए (अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन एवं भते तथा अन्य निबंधन एवं शर्तें) नियमावली, 2014 के द्वारा अभिशासित होगा। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को आवेदक की कम से कम 2 वर्ष की सेवा शेष होनी चाहिए अर्थात आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को आवेदक की अगु 60 वर्ष से अधिक न हो।
- आवेदक में निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए:-
- (1) योग्यता, निष्ठा और वित्त का ज्ञान तथा अनुभव,
- (2) वित संबंधी कार्य में कम से कम संबंधित संगठन में विरिष्ठ पद व 15 वर्ष का अनुभव हो और ऐसे व्यक्ति होंगे जो:
 - (क) सरकारी सेवक रहा हो और भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर कार्य किया हो या राज्य सरकार में कम से कम 3 वर्ष के लिए अपर/विशेष सचिव के रूप में कार्य किया हो;
 - (ख) सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकारी रहा हो और कम से कम 3 वर्ष के लिए बोर्ड से एक स्तर नीचे काम किया हो;
 - (ग) नियामकीय निकास में अधिकारी रहा हो और कम से कम 3 वर्ष के लिए कार्यपालक निदेशक या समान पद पर कार्य किया हो;
 - (घ) 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक की वार्षिक टर्नओवर वाली गैर-सरकारी क्षेत्र की किसी कंपनी में कम से कम 5 वर्ष के लिए कार्यशील प्रमुख के स्तर पर कार्य किया हो, और
 - (इ.) शिक्षा के क्षेत्र से हो और विश्वविद्यालय के विभाग या संकाय में प्रोफेसर के रूप में 5 वर्ष कार्य किया हो।
- 4. एक पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ सहित संलग्न प्रारुप में, प्रत्येक आवेदन से संबंधित योग्यता को स्पष्टतया दर्शाते हुए आवेदन एक बंद लिफाफे में जिस पर "पीएफआरडीए के सदस्य "वित" के पद हेतु आवेदन" लिखा हो, नीचे दिए गए पते पर 07 दिसम्बर, 2016, सायं 5.30 बजे तक पहुंच जाने चाहिए। सरकारी/सार्वजनिक/विनियामकीय क्षेत्र के आवेदक अपने आवेदनों को अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से/उचित माध्यम से ही भेजें। तथापि, आवेदनों की



however, be submitted in anticipation of obtaining necessary approvals. The application must be accompanied with:

- a) Duly attested Annual Confidential Reports of the last five years;
- b) Integrity Certificate;
- c) Vigilance clearance certification that no disciplinary proceedings or criminal proceeding are either pending or contemplated against the officer concerned;
- d) List of major / minor penalties, if any, imposed on the candidate and, otherwise, a certificate confirming that no penalty has been imposed on the officer during service.

Non-Government / non-public sector / non regulatory sector applicants may provide equivalent documents to the ones listed above, as applicable to their organizations.

- 5. The selected candidate shall be required to resign/ retire from and be relieved from his / her current employment before joining the post. Restrictions on re-employment as prescribed, after tenure as Whole-time Member, PFRDA, would apply. Fiduciary declaration is required from every whole-time member on or before his appointment as such. He has to declare on an affidavit the particulars of previous employment and shareholding in any regulated entity referred to in section 7 of the PFRDA Act and previous or present employment of his spouse, dependent children and parents and the particulars of any shareholding of his spouse, dependent children and parents in any regulated entity at any time during his tenure as such as per the provisions of Rule 6 of the PFRDA (Salary and Allowances Payable to, and Other Terms and Conditions of Service of, Chairperson and Whole-time Members) Rules, 2014.
- 6. The selected candidate must join within 30 days from the date of offer of appointment. The period would be extendable for a further period of 15 days on the request of the candidate subject to approval of competent authority. If the selected candidate fails to join even after the notice or submits unwillingness, he / she shall be debarred from consideration for appointment in all Autonomous Bodies / Statutory Bodies / Regulatory Bodies for a period of three years.
- 7. The applications shall be screened by a screening committee and candidates meeting the eligibility criteria shall be shortlisted for an interaction with the Selection Committee, which will make a recommendation(s) to the Government for the appointment. The decisions/ recommendations of the screening/selection committee shall be final.
- 8. Incomplete applications or applications received after the due date will not be considered. Advance copies of applications may, however, be submitted in anticipation.
- 9. The Government retains the right to resolve / remove difficulties experienced in the course of this process.
- 10. Application material for the post may also be downloaded from the Department of Financial Service's website http://www.financialservices.gov.in.

Shri Prabhu Dayal,
Under Secretary to the Government of India
Department of Financial Services,
Ministry of Finance, Government of India,
Room No. 1, 2nd Floor, Jeevan Deep Building,
Partiament Street, New Delhi 110001
Tele No. 01123748760
Email pensec-dfs@nic.in

Yours faithfully,

(Prabhu Dayal)
Under Secretary to the Government of India
Tele No. 23748760
Email pensec-dfs@nic.in

अग्रिम प्रतियां आवश्यक अनुमोदनों की प्राप्ति की प्रत्याशा के साथ प्रस्तुत करें। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएं:-

- (क) पिछले 5 वर्ष की विधिवत सत्यापित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट
- (ख) सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र
- (ग) इस सतर्कता निकासी प्रमाण-पत्र के साथ कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध न तो कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा आपराधिक कार्यवाही लंबित है अथवा न ही चलाए जाने का प्रस्ताव है।
- (घ) अभ्यर्थी पर सेवा के दौरान लगाई गई बड़ी/लघु शास्तियां, यदि कोई हों, अन्यथा यह प्रमाण-पत्र जिससे यह पुष्टि होती हो कि अधिकारी पर सेवाकाल के दौरान कोई शास्ति नहीं लगाई गई थी।

गैर-सरकारी/गैर-सार्वजनिक क्षेत्र/गैर-विनियामकीय क्षेत्र के आवेदक अपने संगठनों के लिए यथा लागू ऊपर सूचीबद्ध समान कागजात उपलब्ध करा सकते हैं।

- 5. चयनित उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे पदभार ग्रहण करने से पूर्व अपने वर्तमान नियोजन से पद त्याग करेंगे/सेवानिवृत्ति लेंगे और वहां से कार्यमुक्त होंगे। पीएफआरडीए के पूर्णकातिक सदस्य के रूप में कार्यकाल के पश्चात यथा निर्धारित पुनर्नियोजन पर प्रतिबंध लागू रहेंगे। न्यासिक घोषणा ऐसे पद पर नियुक्ति के समय और उससे पूर्व प्रत्येक पूर्णकातिक सदस्य से अपेक्षित है। उन्हें पिछले नियोजन से संबंधित तथ्यगत एक शपथ-पत्र देना होगा और पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 7 में वर्णित किसी विनियामकीय संस्था में उसके पूर्व की शेयरधारिता और उसकी पत्नी, निर्भर बच्चों और माता-पिता के पूर्व एवं वर्तमान नियोजन और पीएफआरडीए के विनियम 6 के (अध्यक्ष एवं पूर्णकातिक सदस्यों को देय वेतन और भते तथा सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्त) नियमावली, 2014 के उपबंधों के अनुसार यदि ऐसे कार्यकाल के दौरान किसी भी समय उसकी पत्नी, निर्भर बच्चे और माता-पिता किसी विनियामकीय संस्था में उनकी शेयरधारिता से संबंधित तथ्यों के बारे में घोषणा करनी होगी।
- 6. चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव की तारीख से 30 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। इस अविध में उम्मीदवार के अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के अध्यधीन 15 दिनों की अविध का अतिरिक्त विस्तार दिया जाएगा। नोटिस के पश्चात भी यदि चयनित उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण करने या अपनी अनिच्छा प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसे सभी स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विनियामकीय निकायों में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने से वंचित कर दिया जाएगा।
- 7. आवेदनों की जांच समिति द्वारा जांच की जाएगी और पात्रता मानदण्डों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को चयन समिति के विचार-विमर्श के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा जो नियुक्ति के लिए सरकार से सिफारिश करेगी। जांच/चयन समिति के निर्णयों/सिफारिशों को अंतिम माना जाएगा।
- 8. अपूर्ण आवेदमाँ या नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदमाँ पर विचार महीं किया जाएगा। तथापि, आवेदमाँ की अग्रिम प्रतियां प्रत्याशा में प्रस्तुत की जा सकती हैं।
- इस प्रक्रिया में होने वाली कठिनाईयों के समाधान को दूर करने का अधिकार सरकार के पास है।
- 10. इस पद के लिए आवेदन सामग्री वितीय सेवाएं विभाग की वेबसाइट http://www.financialservices.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

श्री प्रभु दयाल,

अवर सचिव, भारत सरकार,

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं. 1, द्वितीय तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 दूरभाष सं. 011-23748760, ई-मेल pensec-dfs@nlc.in

भवदीय,

(प्रभू दयाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23748760

ई-मेल pensec-dfs@nic.in